न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 111/2011/223 आर टी ए

1. लिच्छीराम पुत्र श्योलाल (फौत)

1/1 अणचीदेवी पत्नि लिच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली हाल चक 4 पीपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/2 किशनलाल पुत्र लिच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली हाल चक 4 पीपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/3 जगदीश पुत्र लिच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली हाल चक 4 पीपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/4 कैलाश पुत्री लिच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली हाल चक 4 पीपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/5 भंवरीदेवी पुत्री लिच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली हाल चक 4 पीपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/6 सिलोचना पुत्री लिच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली हाल चक 4 पीपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/7 सावित्री पुत्री लिच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली हाल चक 4 पीपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

1/8 रूकमणी पुत्री लिच्छीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली हाल चक 4 पीपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. कृष्णा पुत्री सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. विमला पुत्री सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. जमना पुत्री सन्तलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. रामकुमार पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी गांधीनगर तहसील रावतसर जिला हनुमनगढ़।
5. चिरंजीलाल पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी गांधीनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. मदनलाल पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी गांधीनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. गोमति पत्नि चानणराम जाति ब्राहम्ण निवासी गांधीनगर तहसील रावतसर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

9. सरस्वती पत्नि संतलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2011 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0सं0 200/2004 अनवानी कृष्णा आदि बनाम लिच्छीराम आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री महेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 8

निर्णय दिनांकः–15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आरटीए का पेश किया कि चक 4 पीपीएम तहसील नोहर की कुल 30 बीघा खातेदारी भूमि मृतक गंगाराम की थी, गंगाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि श्योलाल, चानणराम व ख्यालीराम के नाम दर्ज हुई। श्योलाल के फौत होने पर दो वारिस लिच्छीराम व संतलाल हुए संतलाल के फौत हो गया जिसके वारिस वादीगण व उसकी माता है किन्तु श्योलाल के फौत होने पर लिच्छीराम ने 1/3 हिस्सा अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जो विधि विरूद्ध है इसी आधार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष चाहते हुए खाता अलग कायम का निवेदन किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे उपस्थित आकर दावा की मदो को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया कि वादीगण विवादित भूमि के किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है। वादीगण व पहले संतलाल का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा, कब्जा के अभाव मे भी दावा खारिज योग्य है। प्रतिवादी नं. 1 व मु.धापा बेवा ख्यालीराम, गोमती बेवा चानण ने 15एएए के तहत खातेदारी प्राप्त करने हेतु न्यायालय मे वाद पेश किया जिसमे स्टेट को सुनने के बाद लिच्छीराम का 1/3 हिस्सा, धापा का 1/3 हिस्सा व गोमति का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जिसमे 25 बीघा निःशुल्क व 5 बीघा के 1750 रू0 प्रति बीघा की दर से कीमत जमा की गई मृतक संतलाल ने खातेदारी वास्ते ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया और ना ही उसका कोई हक व हिस्सा था एवं ना ही कब्जा था। इसलिए एसडीओ नोहर के

निर्णय दिनांक 25.11.1991 को मौजूदा वाद से निरस्त नही किया जा सकता उसके खिलाफ अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो पेश नही की इसलिए निर्णय दिनांक 25.11.1991 अंतिम है। दावा एवं जवाबदावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने आठ तनकीयात कायम की गई जिसमे तनकी सं. 1 ता 3 को साबित करने का भार वादीगण एवं तनकी सं. 4 ता 7 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वादियान ने दावा को साबित करने के लिए ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे स्पष्ट हो कि विवादित भूमि मे हक व हिस्सा बनता हो इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने दावा डिक्री किया जो खारिज योग्य है।

4. अपीलांट ने जवाबदावा के तथ्यों को भलीभांति साबित किया है जिससे स्पष्ट होता है कि वादियान का विवादित भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है ना ही कब्जा है जो स्वयं वादिया ने अपने मौखिक साक्ष्य मे स्वीकार किया है। जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया। अपीलांट के नाम 1/3 हिस्सा भूमि विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.91 के आधार पर दर्ज हुई है जिसको आज तक ना तो संतलाल ने चुनौती दी और ना ही वादिया ने चुनौती दी है निर्णय दिनांक 25.11.91 अंतिम है जब तक उसको निरस्त नही किया जा सकता वादियान किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नही है ना ही न्यायालय से मौजूदा वाद मे कोई रिलीफ दी जा सकती है। स्वयं संतलाल ने विचारण न्यायालय मे एक वाद संतलाल बनाम बादो देवी वाद संख्या 186/81 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 21.05.1986 को हो गया जिसमे दावा खारिज हुआ जिसमे संतलाल ने अपने आप को ख्यालीराम का खौलायत पुत्र होना स्वीकार किया है उसके बावजूद भी अब संतलाल की लड़कियों ने श्योलाल की भूमि अपना हिस्सा होना मानकर दावा किया है जबकि उसका विवादित भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है। तनकी सं. 2 के निर्णय मे विचारण न्यायालय ने लिखा है कि भूमि बैंक के नाम रहन है इसलिए किसी प्रकार का तकासमा वादिया करवाने की अधिकारिणी नही है जबकि तकासमा होने से बैंक के हितो पर किसी प्रकार का असर नही पड़ता। यदि वादियान का हिस्सा होना न्यायालय स्वीकार करती है तो न्यायालय को दावा प्राथमिक डिक्री करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने दावा अंतिम डिक्री है जो किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात प्रकरण मे अन्तर्निहित भूमि के संबंध मे सुसंगत है जिन्हे न्यायहित मे अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न

दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक 4 पीपीएम तहसील नोहर की कुल 30 बीघा खातेदारी भूमि मृतक गंगाराम की थी, गंगाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि श्योलाल, चानणराम व ख्यालीराम के नाम दर्ज हुई। श्योलाल के फौत होने पर दो वारिस लिच्छीराम व संतलाल हुए संतलाल के फौत हो गया जिसके वारिस रेस्पो0 सं. 1 ता 3 व उसकी माता है किन्तु श्योलाल के फौत होने पर लिच्छीराम ने 1/3 हिस्सा अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसी कारण रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मे तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर दावा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये स्वीकार किया गया जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपील खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि आवंटन आदेश बहक लिच्छीराम, धापू, गोमती 27.04.72, प्रमाणित प्रतिलिपि सनद खातेदारी बहक लिच्छीराम, धापा व गोमती दिनांक दिनांक 03.02.92, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 25.11.71 की पालना मे राशि जमा कराने का आदेश दिनांक 02.12.91, प्रमाणित प्रति रिपोर्ट तहसीलदार भू0अ0 नोहर मय रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 15.10.91 अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 आरटीए का पेश कर चक 4 पीपीएम तहसील नोहर की कुल 30 बीघा खातेदारी भूमि मृतक गंगाराम की थी, गंगाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि श्योलाल, चानणराम व ख्यालीराम के नाम दर्ज हुई। श्योलाल के फौत होने पर दो वारिस लिच्छीराम व संतलाल हुए संतलाल के फौत हो गया जिसके वारिस वादीगण व उसकी माता है किन्तु श्योलाल के फौत होने पर लिच्छीराम ने 1/3 हिस्सा अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। उक्त वादग्रस्त भूमि मे संतलाल के वारिसान होने के आधार पर रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का हक व हिस्सा

निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिक्री करते हुए अपीलधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसके विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई जिसमे अपीलांट का तर्क है कि वादियान का विवादित भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है ना ही कब्जा है जो स्वयं वादिया ने अपने मौखिक साक्ष्य मे स्वीकार किया है। जिस पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया। अपीलांट के नाम 1/3 हिस्सा भूमि विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.91 के आधार पर दर्ज हुई है जिसको आज तक ना तो संतलाल ने चुनौती दी और ना ही वादिया ने चुनौती दी है निर्णय दिनांक 25.11.91 अंतिम है जब तक उसको निरस्त नही किया जा सकता वादियान किसी प्रकार की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नही है ना ही न्यायालय से मौजूदा वाद मे कोई रिलीफ दी जा सकती है। स्वयं संतलाल ने विचारण न्यायालय मे एक वाद संतलाल बनाम बादो देवी वाद संख्या 186/81 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 21.05.1986 को हो गया जिसमे दावा खारिज हुआ जिसमे संतलाल ने अपने आप को ख्यालीराम का खौलायत पुत्र होना स्वीकार किया है उसके बावजूद भी अब संतलाल की लड़कियों ने श्योलाल की भूमि अपना हिस्सा होना मानकर दावा किया है जबकि उसका विवादित भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे कुल सात तनकीयात कायम की गई कि 1. आया विवादित भूमि जिसका विवरण दावा की मद सं. 2 मे दर्ज है, लिच्छीराम 1/6 हिस्सा वादीगण 1/6 हिस्सा है–वादी। 2. आया वादीगण व लिच्छीराम 1/3 प्रतिवादिया गोमी 1/3 का खाता व लगान तकसीम कराने के अधिकारी है– वादी। 3. आया वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री पाने की अधिकारी है–वादी। 4. आया वादीगण विवादित भूमि की श्रेणी की टिनेन्ट नही है–प्रतिवादी। 5. आया वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा नही है। कब्जा के अभाव मे दावा चल नही सकता नही –प्रतिवादी। 6. आया विवादित भूमि का दफा 15एएए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मे लिच्छीराम 1/3 हिस्सा धापा 1/3 हिस्सा व गोमती 1/3 हिस्सा को खातेदार किया गया है, निर्णय दिनांक 25.11.91 के रहते मौजूदा दावा मे वादीगण को कोई रिलीफ नही मिल सकती है–प्रतिवादी। 7. आया प्रतिवादीगण जरिये काउंटर क्लेम प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 प्रतिवादी सं. 2 ता 4,1/3 प्रतिवादी सं. 5, 1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है–प्रतिवादी। 8. दादरसी।

9. प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि जो श्योलाल के नाम दर्ज थी, मे उसके वारिसान संतलाल व लिच्छीराम के नाम दर्ज होनी थी परन्तु अपीलांट का तर्क है कि संतलाल ख्यालीराम के खोले चला गया जिस कारण श्योलाल की भूमि मे उसका हक व हिस्सा नही है।

परन्तु रेस्पो0 सं. 1 ता 3 का तर्क है कि संतलाल को ख्यालीराम का खोलायत पुत्र होना नही माना है तथा वादग्रस्त भूमि जो ख्यालीराम के नाम दर्ज वह उसकी पत्नि मु0 धापा के नाम दर्ज हुई। जब ख्यालीराम की नाम दर्ज भूमि संतलाल को प्राप्त नही हुई तो वह अपने प्राकृतिक पिता के नाम दर्ज भूमि मे हक व हिस्सा रखता है।

10. उपरोक्त परिस्थितियो मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे एक ओर तनकी यह भी विरचित करनी चाहिए थी कि आया संतलाल को मु0 धापो बेवा ख्यालीराम के द्वारा दत्तक पुत्र ग्रहण अथवा वसीयत के आधार पर धापो के स्वामित्व भूमि प्राप्त हुई अथवा नही। ऐसी स्थिति अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक रू॰ से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण मे विरचित तनकीयात मे एक और तनकी यह भी विरचित की जावें कि आया संतलाल को मु0 धापो बेवा ख्यालीराम के द्वारा दत्तक पुत्र ग्रहण अथवा वसीयत के आधार पर धापो के स्वामित्व भूमि प्राप्त हुई अथवा नही। तद्नुसार प्रकरण का निस्तारण 6 माह मे करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ